इकाई 11 प्रतिलिप्यधिकार : संकल्पना एवं स्वरूप

इकाई की रूपरेखा

11.0 उद्देश्य

11.1 प्रस्तावना

11.2 प्रतिलिप्यधिकार का अर्थ

11.3 प्रतिलिप्यधिकार अधिकारों की गठरी

11.4 जिन कृतियों पर प्रतिलिप्यधिकार लागू होता है

115 प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी

11.6 अधिकार प्राप्त कैसे होता है?

11.7 प्रतिलिप्यधिकार का समनुदेशन (Assignment)

11.8 समनुदेशन संबंधी विवाद

11.9 उचित प्रयोग

11.10 रचयिता के विशेष अधिकार

11.11 प्रतिलिप्यधिकार की अवधि

11.12 प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन और उपचार

11.13 अनुवाद के लिए प्रकाशक से संविदा

11.14 सारांश

11.15 अभ्यास के लिए प्रश्न

11.16 उपयोगी पुस्तकें

11.0 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई प्रतिलिप्यधिकार से संबंधित है। प्रस्तुत इकाई को पढ़ने से अनुवाद अध्ययन में एम.ए. करने वाले शिक्षार्थियों को प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की संक्षिप्त जानकारी मिलेगी। प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में जानकारी हासिल कर सकेंगे;
- प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त होने के तरीके और समनुदेशन के बारे में जान सकेंगे; और
- प्रतिलिप्यधिकार की अवधि, अतिलंघन और उपचार की समझ बना सकेंगे।

11.1 प्रस्तावना

प्रतिलिप्यधिकार सृजनात्मकता का सम्मान है। हर राज्य और हर समाज अपने समय के रचयिता के प्रति आदर का भाव रखता है। और, इस कारण उसे कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है। प्रतिलिप्यधिकार को मान्यता देने का अर्थ सृजन को प्रोत्साहन देना होता है। साथ ही कारबार में पूँजी निवेश को प्रतिलिप्यधिकार सुरक्षा प्रदान करता है। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। प्रत्येक समाज को अपने कवियों, लेखकों, संगीतकारों, चित्रकारों और कलाकारों पर गर्व होता है। सृजन से संस्कृति की श्रीवृद्धि होती है। इसलिए सृजन की सुरक्षा आवश्यक है। अंग्रेजी शब्द कॉपीराइट के पीछे एक

इतिहास है। प्रारंभ में जब मुद्रण के लिए मशीन नहीं थी तब लोग कृतियों की प्रतिलिपि हाथ से करते थे या कराते थे। सन् 1436 में जर्मनी में मुद्रण मशीन के आविष्कार के पश्चात् पुस्तकों का चलन बढ़ने लगा। इंग्लैंड में शासन को ऐसी आशंका रहती थी कि पुस्तक में कोई ऐसी बात न छपे जो ईसाई धर्म या सरकार के विरुद्ध हो। अतएव पुस्तक छापने की राजाज्ञा प्राप्त करना मुद्रक के लिए अनिवार्य होता था। बाइबिल छापने का एकाधिकार *ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस* को दिया गया। सबसे पहले सन् 1709 में अधिनियम द्वारा लेखक को अधिकार दिया गया। इस अधिकार को कॉपीराइट (प्रतिलिपि तैयार करने का अधिकार) कहा गया। अब तो प्रस्तुतकर्ता, प्रसारणकर्ता, फोटोग्राफर, चित्रकार, संगीतकार आदि के अधिकार भी इसी शीर्षक के अधीन आते हैं। इस प्रकार इस शब्द का अर्थ विस्तार हो गया है।

वास्तविक अर्थ में यह एक तरह का निषेधकारी अधिकारी है। रचयिता को यह अधिकार है कि वह हर व्यक्ति को अनुमति लिए बिना उसकी प्रतिलिपि बनाने से रोक सकता है। अपनी रचना की प्रतिलिपि तैयार करने का प्रथम अधिकार रचनाकार का है। इसलिए इसे प्रतिलिप्यधिकार भी कहते हैं।

11.2 प्रतिलिप्यधिकार का अर्थ

हम यहाँ भारत में लागू प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 को आधार मानकर विचार करेंगे।

अधिनियम का नाम प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम है किंतु इसमें अन्य अधिकार भी समाविष्ट हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रतिलिप्यधिकार पुस्तकों और लेखकों तक सीमित था। किंतु समय के साथ इसमें प्रस्तुतकर्ता (performer), प्रसारणकर्ता (broadcaster), नामक के रचयिता, संगीतकार, गायक, कलाकार, फिल्म निर्माता, ध्वन्यंकनकर्ता (audio recorder), और कंप्यूटर प्रोग्रामर भी समाविष्ट हो गए हैं।

यूरोप में लेखक के अधिकारों को प्राथमिक अधिकार कहते हैं अन्य अधिकारों को द्वितीयक अधिकार या पड़ोसी अधिकार कहते हैं। इन्हें व्युत्पन्न अधिकार भी कहा जाता है।

इसके अतिरिक्त लेखक के कुछ नैतिक अधिकार भी स्वीकार किए जाते हैं।

भारत में हम सभी को प्रतिलिप्यधिकार ही कहते हैं। नैतिक अधिकारों को रचयिता के विशेष अधिकार कहते हैं। इस प्रकार हमारा नामकरण सरल और सुविधाजनक है।

प्रतिलिप्यधिकार से पुस्तक के संदर्भ में अभिप्रेत है :

1. किसी साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति का उत्पादन भौतिक रूप में (Material form) करना। इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी है।
2. कृति की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करना।
3. रेडियो या टेलीविजन जैसे माध्यमों से कृति की सार्वजनिक प्रस्तुति करना, या सार्वजनिक रूप से संसूचित करना।
4. कृति की फिल्म बनाना या ध्वन्यंकन (sound recording) करना।
5. कृति का अनुवाद करना।
6. कृति का अनुकूलन करना (जैसे संक्षेपण, रूपांतर, कहानी को नाटक बनाना आदि)।
7. अनुवादक भी रचयिता ही होते हैं, इसलिए जो अधिकार रचयिता के हैं वे अनुवादक

के भी हैं। अर्थात् कृति अनुवाद हो तो रचयिता (अनुवादक) के पास उल्लिखित सभी अधिकार होंगे।

11.3 प्रतिलिप्यधिकार अधिकारों की गठरी

ऊपर बताए गए विधान के अनुसार रचनाकार के पास अनेक अधिकार हैं, उन्हें समग्र रूप से प्रतिलिप्यधिकार कहते हैं। अधिकारों की गठरी को रचयिता चाहे तो पूरा ही किसी को दे दे या उसे खोलकर हर अधिकार अलग कर बाँटे।

कुछ उदाहरणों से यह बात इस तरह स्पष्ट हो जाएगी :

1. **क** ने एक उपन्यास अंग्रेजी में लिखा। उसने पुस्तक रूप में प्रकाशन के समस्त अधिकार प्रकाशक प को दे दिए।
2. **क** ने पूर्वोक्त उपन्यास के अमेरिका में प्रकाशन के अधिकार प को, यू.के. में प्रकाशन के अधिकार फ को और भारत में प्रकाशन के अधिकार ब को बेच दिए। यह कार्य वैध है। उसने अपने अधिकार टुकड़ों में विभाजित कर दिए। यह राज्यक्षेत्र के अनुसार विभाजन है।
3. **क** ने पूर्वोक्त उपन्यास के भारत में प्रकाशन के अधिकार अपने पास रखे और शेष विश्व के अधिकार प को विक्रय कर दिए। यह संभव है।
4. **क** ने पूर्वोक्त उपन्यास के हिंदी में अनुवाद करने का अधिकार ख को विक्रय कर दिया।
5. **क** ने अपने उपन्यास को नाटक में परिवर्तित करने का अधिकार ख को दे दिया।
6. **क** ने फिल्म बनाने का अधिकार ख को दे दिया।
7. **क** ने टेलीविजन के लिए धारावाहिक बनाने का अधिकार ग को दे दिया।
8. **क** ने संक्षेप करने का अधिकार घ को दे दिया।
9. **क** ने उपन्यास को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित करने का अधिकार च को दे दिया।

उक्त उदाहरण में **क** ने अपने अधिकार अंशों में विभाजित कर प्रत्येक अंश अलग–अलग व्यक्ति को अंतरित कर दिया। प्रत्येक अंतरण विधिमान्य है।

11.4 जिन कृतियों पर प्रतिलिप्यधिकार लागू होता है

प्रतिलिप्यधिकार तीन वर्ग की कृतियों में होता है :

1. मौलिक, साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक और कलात्मक कृतियाँ
2. चलचित्र
3. ध्वन्यंकन

प्रथम वर्ग में चार प्रवर्ग की कृतियाँ हैं :

1. साहित्यिक
2. नाट्य
3. संगीत और
4. कला की कृतियाँ।

ध्यान देने योग्य है कि इन चारों प्रकार की कृतियों का एक विश्लेषण है – मौलिक। अर्थात् प्रत्येक कृति मौलिक होनी चाहिए।

कानून की दृष्टि से मौलिक का अर्थ सामान्य बोलचाल से भिन्न है। मौलिक से यह अभिप्रेत है कि लेखक ने स्वयं लिखा है, नकल नहीं की है। उसमें कोई अपूर्व या नूतन विचार होना अपेक्षित नहीं है। मौलिकता की कोई न्यूनतम मात्रा आवश्यक नहीं है। वह किसी अन्य कृति की प्रतिलिपि नहीं होनी चाहिए। मौलिक का यह अर्थ नहीं कि कृति ऐसे क्षेत्र या विषय से संबद्ध हो जो अब तक अछूता था। एक ही विचार या कथानक पर अगणित पुस्तकें हो सकती हैं। प्रत्यय, विचार, कथानक या घटना पर कोई प्रतिलिप्यधिकार नहीं होता। कानून अभिव्यक्ति को संरक्षण देता है। विचार, कथावस्तु या घटना पर किसी का एकाधिकार नहीं होता।

रामकथा, हमारी फिल्म के नायक–नायिका और खलनायक वाली फिल्में, ताजमहल के फोटोचित्र आदि एक ही आधार पर निर्मित हैं। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

साहित्यिक का इस संदर्भ में क्या अर्थ है यह भी विचारणीय है। कानून, किसी रचना की साहित्यिक गुणवत्ता का निर्णय नहीं करता। साहित्य के पारखियों की दृष्टि से कोई कृति सर्वथा गुणहीन हो सकती है किंतु कानून फिर भी उसे संरक्षण देना। कुछ ऐसे संकलन भी होते हैं जिन्हें बोलचाल में कोई साहित्यिक कृति नहीं स्वीकारेगा, पर कानून की दृष्टि से ऐसी कृतियाँ भी साहित्यिक कृतियाँ हैं। जैसे–पहाड़े की पुस्तक, रेल समय–सारणी, डायरी, निदेशिका आदि। यहाँ साहित्यिक कृति का साहित्य से कोई संबंध नहीं है।

कानून में साहित्यिक कृति से सामान्यतया तीन बातें जुड़ी होती हैं। पहली बात कि उससे जानकारी मिलती है, दूसरी बात कि उससे अनुदेश या शिक्षा मिलती है, और तीसरी बात कि उससे सुख या आनंद प्राप्त होता है।

कानून प्रत्येक व्यक्ति के श्रम, कौशल और पूँजी से उत्पन्न कृति को संरक्षण देता है। दूसरा कोई उससे लाभ नहीं उठा सकता।

कुछ उदाहरणों से उपर्युक्त सिद्धांत इस तरह स्पष्ट होंगे :

1. **क** ने आय–कर का हिसाब लगाने हेतु एक ऐसा तत्काल परिकलक (ready reckoner) तैयार किया जिससे करदाता को सरलता से ज्ञान हो जाए कि कितना आय–कर देना है।
2. **क** ने अंकगणित की एक पुस्तक लिखी।
3. **क** ने किसी विश्वविद्यालय के लिए राजनीति शास्त्र में एम.ए. की परीक्षा के लिए प्रश्न–पत्र तैयार किया।
4. **क** ने दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक तैयार की, जिसमें पाँच कहानियाँ, चार उपनयासों के अंश, आठ निबंध और बारह कविताएँ हैं। **क** ने ये रचनाएँ स्वयं नहीं की। इनका संकलन तैयार किया और आवश्यकतानुसार रचनाकारों से अनुमति ले ली।
5. **क** ने भारत के सभी प्रमुख नगरों के एस.टी.डी. कोड संकलित कर प्रकाशित कराए।

पहले उदाहरण का त्तकाल परिकलक प्रतिलिप्यधिकार कानून की दृष्टि में साहित्यिक कृति है। दूसरे, तीसरे, और पाँचवें उदाहरण की रचनाएँ साहित्यिक कृतियाँ हैं। सामान्य व्यवहार में प्रश्न–पत्र को साहित्यिक कृति नहीं कहा जाता, किंतु कानून इसके विपरीत है। कानून का उद्देश्य से यह अर्थ विस्तार है। चौथे उदाहरण में जो संकलन तैयार हुआ है वह भी साहित्यिक कृति है। कानून की दृष्टि से उसके रचयिता संकलनकर्ता हैं।

इन उदाहरणों में रचयिता ने कृति तैयार करने में श्रम किया है, अपने ज्ञान का उपयोग किया है और कुछ पूँजी भी लगाई है। कानून रचयिता को संरक्षण देगा कि कोई अन्य व्यक्ति उनकी कृति का विदोहन न करे।

कुछ और उदाहरण देखें :

1. **क** ने कुछ नारे लिखे जो छोटे–छोटे, एक या दो वाक्यों के हैं।
2. **क** ने एक शब्द गढ़ा।
3. **क** यह दावा करता है कि उसका कुलनाम (जैसे गाँधी, चंद्रचूड़, सुब्बा, चिखलकर) ऐसी कृति है जिस पर उनका प्रतिलिप्यधिकार है।
4. **क** ने सूरदास के एक सौ पदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया।
5. **क** ने गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस के एक कांड पर भाष्य लिखा।
6. **क** ने कुछ पत्र अपने मित्र ख को लिखे हैं जिनमें नई साहित्यिक कृतियों की समीक्षा है।

उल्लिखित पहले उदाहरण में जो नारे हैं उन पर कोई प्रतिलिप्यधिकार नहीं होता। इस तरह छोटे–छोटे और प्रभावशील वाक्यांशों पर एकाधिकार हो जाएगा तो लोगों का अहित होगा। भाषा सार्वजनिक है। सब की अभिव्यक्ति का माध्यम है। इस लोक अधिकार को परिसीमित नहीं किया जा सकता।

दूसरे उदाहरण के लिए भी समान स्थिति लागू होगी। तीसरे उदाहरण में भी कोई भिन्न बात नहीं होगी। कुलनाम किसी की विरासत नहीं होता। कोई भी कुलनाम, जातिनाम या उपनाम के रूप में उसे अपना सकता है।

चौथे उदाहरण में सूरदास के पद तो सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, क्योंकि सूरदास को दिवंगत हुए साठ वर्ष से अधिक हो गए। इसलिए उनकी रचनाएँ प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के प्रभाव से मुक्त है। उनके पद कोई भी छाप सकता है। पर उन पदों का अनुवाद **क** की कृति है। कानून की दृष्टि से मौलिक साहित्यिक कृति है, जिसे कानून संरक्षण देगा।

पाँचवें उदाहरण में *रामचरितमानस* के एक कांड का भाष्य भी **क** की साहित्यिक कृति है। उक्त चौथे उदाहरण की स्थिति इस पर भी लागू होगी।

छठे उदाहरण में **क** के पत्रों के दो आयाम हैं। पत्र में जो अभिव्यक्ति है वह क की मौलिक कृति है। ख उसे प्रकाशित नहीं कर सकता। किंतु पत्र (अर्थात् वह कागज और उस पर लिखा लेख) **ख** की संपत्ति है। उसे अपने पास रखने और जरूरत पड़ने पर लोगों को दिखाने का अधिकार **ख** को है।

इसी तरह पुस्तक के शीर्षक पर भी प्रतिलिप्यधिकार नहीं होता। एक ही शीर्षक की अनेक पुस्तकें हो सकती हैं।

11.5 प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी

अब तक हमने यह देखा कि प्रतिलिप्यधिकार क्या है और किस तरह की कृतियों में प्रतिलिप्यधिकार होता है। अब इस पर विचार किया जाएगा कि प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी कौन होता है।

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम का आधारिक नियम यह है कि कृति का रचयिता उसका प्रथम स्वामी होगा। किंतु कुछ परिस्थितियों में यह स्पष्ट नहीं होता कि रचयिता कौन है। कानून के अधीन दो या अधिक संयुक्त रचयिता भी हो सकते हैं।

अधिनियम में रचयिता की परिभाषा इस तरह दी गई है :

रचयिता से अभिप्रेत है –

- किसी साहित्यिक या नाट्य कृति के संबंध में उस कृति के रचयिता
- किसी संगीतात्मक कृति के संबंध में संगीतकार
- फोटोग्राफ से भिन्न किसी कलाकृति के संबंध में कलाकार
- किसी फोटोग्राफ के संबंध में फोटोग्राफ खींचने वाला
- किसी चलचित्र या ध्वन्यंकन के संबंध में निर्माता, और
- किसी ऐसी साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति के संबंध में, जो कंप्यूटरजनित है, वह व्यक्ति रचयिता होता है जो उस कृति का सृजन कराता है।

साधारण परिस्थितियों में रचयिता की यही परिभाषा है। आगे हम साहित्यिक कृति तक सीमित रहते हुए इस पर कुछ और गहराई से विचार करेंगे।

1. **क** को एक मासिक पत्रिका में उपसंपादक नियुक्त किया गया। **क** को यह कार्य सौंपा गया कि वह प्रतिमास गत मास की राष्ट्रीय राजनीति पर एक टिप्पणी तैयार करे जो उस मासिक पत्रिका में छपा करेगी।
2. यहाँ **क** जो आलेख तैयार करेगा उस पत्रिका के स्वत्वधारी (स्वामी) का प्रतिलिप्यधिकार होगा।
3. **क** और **ख** को उनके नियोजक ने तमिलनाडु के कार्तिकेय स्वामी के सात मंदिरों का अध्ययन करके उनका इतिहास, धार्मिक महात्म्य, स्थापत्य आदि पर पुस्तक लिखने का कार्य सौंपा। **क** और **ख** ने पुस्तक लिखी। इस पुस्तक पर प्रतिलिप्यधिकार नियोजक का होगा, क्योंकि पुस्तक नियोजन की संविदा (contract of employment) के अधीन लिखी गई है।
4. **क** एक विद्यालय में गणित का शिक्षक है। **क** ने गणित के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक पर प्रतिलिप्यधिकार क का होगा, नियोजक का नहीं। क्योंकि उसका नियोजन कक्षा में पढ़ाने के लिए है। पुस्तक लिखने के लिए नहीं।

11.6 अधिकार प्राप्त कैसे होता है?

यह प्रश्न बहुधा पूछा जाता है कि प्रतिलिप्यधिकार कैसे प्राप्त करें? इसका उत्तर बहुत सरल है। प्रत्येक सभ्य राष्ट्र यह स्वीकार करता है कि कुछ मानवाधिकार भी होते हैं। ये अधिकार प्रत्येक मानव के हैं। गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक उन अधिकारों को पाने के लिए मनुष्य होना पर्याप्त है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने कोई रचना की या कोई कृति तैयार की, उस कृति का प्रतिलिप्यधिकार उस रचयिता में अपने आप निहित होता है। इसके लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कोई कवि ज्यों ही कोई कविता लिखता है या कहानीकार कहानी लिखता है, उसी क्षण वह उसका प्रथम स्वामी हो जाता है।

कुछ परिस्थितियों में जब विवाद हो कि स्वामी कौन है तो जो यह दावा करता है कि वह स्वामी है उसे यह साबित करना होगा कि वह स्वामी है। यदि उसने अपने प्रतिलिप्यधिकार का पंजीकरण करा रखा है तो साबित करना सरल और सुविधाजनक होगा। वह रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र दिखा सकता है। प्रमाण–पत्र प्रथम दृश्ट्या साक्ष्य है।

किसी कृति के रचयिता या स्वामी या प्रकाशक या उसमें हितबद्ध व्यक्ति प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को आवेदन देकर पंजीकरण करा सकता है। आवेदन विहित प्रारूप में होना चाहिए, उसमें विशिष्टियाँ भरनी होगी और विहित शुल्क भी देना होगा। रजिस्ट्रार (यदि जाँच करना उचित समझे तो जाँच के पश्चात्) अपने रजिस्टर में प्रविष्ट कर एक प्रमाण–पत्र दे देगा। आवेदन का प्रारूप (form) नियमों में दिया गया है। वर्तमान में प्रत्येक आवेदन के लिए शुल्क पचास रुपए है। सामान्यतया नब्बे दिन के भीतर पंजीकरण हो जाता है।

यदि पंजीकरण में नाम, पते आदि की भूल हो तो रजिस्ट्रार उसे ठीक कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को प्रतीत होता है कि कोई प्रविष्टि गलती से की गई है या कोई त्रुटि रह गई है तो वह प्रलिलिप्यधिकार बोर्ड को आवेदन कर सकता है। बोर्ड उसे ठीक करा देगा।

11.7 प्रतिलिप्यधिकार का समनुदेशन (Assignment)

कृति की रचना करना पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक कृतिकार यह आकांक्षा रखता है कि उसकी कृति अधिकाधिक लोगों तक पहुँचे। तभी उसकी यशवृद्धि होगी। तभी धनलाभ होगा। कृतिकार के पास प्रकाशन और विपणन के साधन नहीं होते। उसे इस क्षेत्र का अनुभव भी नहीं होता। इसलिए उसे प्रकाशक से संबंध जोड़ना होता है। प्रकाशक, पुस्तक के मुद्रण और प्रकाशन में धन लगाता है। उसके पास पुस्तक वितरण का तंत्र होता है, जिससे वह विज्ञापन और वितरण द्वारा कृति पाठक तक पहुँचती है। किंतु यदि प्रतिलिपयधिकार प्रकाशक के पास नहीं हुआ तो वह धन का विनिवेश क्यों करेगा? अब प्रश्न है कि प्रतिलिपयधिकार प्राप्त कैसे हो?

इसका उत्तर है समनुदेशन (assignment) प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी अपना अधिकार समनुदेशित कर सकता है। पहले बताया जा चुका है कि प्रतिलिप्यधिकार एक गठरी है। वह एक भौगोलिक क्षेत्र के लिए अधिकार दे सकता है, एक भाषा के लिए दे सकता है, एक संस्करण के लिए दे सकता है–या इसी प्रकार अन्य विभाजन कर सकता है।

प्रकाशक उसे प्रतिफल में एकमुश्त राशि दे सकता है, प्रति पृष्ठ की दर से दे सकता है, या पुस्तक की कीमत पर प्रतिशत की दर से दे सकता है। या इसी प्रकार कोई अन्य दर जो वे आपस में तय करें, उस पर समझौता कर सकता है। कीमत की प्रतिशत दर छपे मूल्य पर नहीं होती, सामान्यतया शुद्ध कीमत या प्राप्त कीमत पर होती है। मान लीजिए पुस्तक की छपी कीमत एक सौ रुपए है और वितरक को वह साठ रुपए में बेची जाती है तो लेखक को साठ रुपए के आधार पर प्रतिशत दिया जाएगा।

समनुदेशन के लिए आवश्यक है कि –

1. वह लिखित हो।
2. उस पर रचयिता या उसके अभिकर्ता (agent) के हस्ताक्षर हों।
3. कृति की ठीक से पहचान की गई हो।
4. समनुदेशन की अवधि विनिर्दिष्ट की गई हो (जैसे दस वर्ष, पंद्रह वर्ष आदि या फिर संपूर्ण अवधि के लिए)।
5. कौन से अधिकार दिए गए हैं यह बताया गया हो।
6. अधिकार का भौगोलिक क्षेत्र बताया गया हो।
7. यदि स्वामित्व (royalty) दी गई हो तो उसकी राशि विनिर्दिष्ट हो।

ध्यातव्य है कि –

1. अवधि का उल्लेख नहीं होने पर समझा जाएगा कि समनुदेशन पाँच वर्षों के लिए है।
2. भौगोलिक क्षेत्र का उल्लेख नहीं होने पर समझा जाएगा कि वह भारत के लिए ही सीमित है।

11.8 समनुदेशन संबंधी विवाद

समनुदेशन संबंधी विवाद के निपटारे की अधिकारिता प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड में है। यह सरल और सहज प्रक्रिया है। इस विषय पर कोई विवाद उठने पर व्यथित पक्षकार बोर्ड को शिकायत कर सकता है। बोर्ड, यदि आवश्यक हो तो, जाँच करने के पश्चात् समुचित आदेश देता है। बोर्ड स्वामित्व (royalty) के भुगतान अथवा समनुदेशन रद्द करने का आदेश भी दे सकता है।

यदि समनुदेशिती (जिसको प्रतिलिप्यधिकार दिया गया है) उसे दिए गए अधिकार का पर्याप्त प्रयोग नहीं करता है और इसमें समनुदेशक का कोई दोष नहीं है तो बोर्ड समनुदेशन रद्द कर सकता है।

उदाहरणार्थ **क** ने अपनी पुस्तक के मुद्रण का अधिकार एक प्रकाशक **प** को समनुदेशित किया। **प** ने पाँच वर्ष तक पुस्तक प्रकाशित नहीं की। इस स्थिति में **क** बोर्ड को शिकायत कर सकता है और बोर्ड समनुदेशन रद्द कर सकता है, क्योंकि समनुदेशिती ने विधानविहित अवधि में अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया।

11.9 उचित प्रयोग

प्रतिलिप्यधिकार एक प्रकार से एकाधिकार है, इसलिए कानून ने इसे सीमा में बाँध कर रखा है। रचयिता का एकाधिकार होते हुए भी साधारण जन को यह अधिकार है कि वह किसी भी कृति का उचित प्रयोग कर सकता है। इसके लिए अनुमति लेना भी आवश्यक नहीं है।

हमारे अधिनियम में विस्तार से उन कार्यों को गिनाया गया है जो करना अनुमत है अर्थात् जो उचित प्रयोग माने जाते हैं।

उदाहरण से यह सिद्धांत और स्पष्ट होगा –

1. **क** ने एक उपन्यास की समीक्षा की। समीक्षा में आवश्यकतानुसार उपन्यास से उद्धरण दिए। यह उचित प्रयोग है।
2. **क** ने अपने अनुसंधान (research) के लिए छह पुस्तकों से कुछ अंश उद्धृत किए। यह उचित प्रयोग है।
3. **क** ने अपने मनोरंजन और उपयोग के लिए कुछ कविताएँ नकल करके रख ली। यह उचित प्रयोग है।
4. **क** ने 25 गीत लिखे। **ख** ने एक आयोजन किया जिसमें उसने श्रोताओं के समक्ष गीत गाए। यह उचित प्रयोग नहीं है।
5. एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय किसी कवि की एक कविता सुनाई यह उचित प्रयोग है।
6. एक प्रश्न–पत्र में कविताओं के उद्धरण दिए गए। यह उचित प्रयोग है। इसी प्रकार प्रश्न–पत्र के उत्तर में कविता के उद्धरण भी उचित हैं।

7. भारत सरकार ने राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित की। **ख** इसे छापकर वितरित करता है। यह उचित प्रयोग है।

8. **क** ने न्यायालय के निर्णय का प्रकाशन किया। यह उचित प्रयोग है।

9. **क** ने **ख** की हिंदी में रचित समस्त कविताओं का ओड़िया में अनुवाद प्रकाशित किया। यह उचित प्रयोग नहीं है।

11.10 रचयिता के विशेष अधिकार

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम में जिसे रचयिता के विशेष अधिकार कहा गया है उसे इंग्लैंड, अमेरिका आदि में नैतिक (moral rights) अधिकार कहा जाता है।

रचयिता के दो अधिकार ऐसे हैं जो प्रतिलिप्यधिकार समनुदेशित करने के बाद भी शेष रहते हैं – जब रचनाकार अपने अधिकार का आर्थिक दृष्टि से उपयोग नही ंकर सकता, तब भी ये अधिकार बने रहते हैं। ये अधिकार हैं–

1. कृति का रचयिता होने का दावा करना।
2. अपनी कृति का विरूपण, विकृत किए जाने या रूपांतरित किए जाने को रोकने का अधिकार। यह तब तो और अधिक प्रभावकारी होता है जब इससे उसकी प्रतिष्ठा या ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो। इस स्थिति में रचयिता नुकसानी का दावा भी कर सकता है।

दृष्टांत :

क ने अपने उपन्यास को पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने का अधिकार एक प्रकाशक **ख** को विक्रय कर दिया। **ख** उपन्यास के लेखक के रूप में **क** का ही नाम देगा किसी अन्य का नहीं।

उक्त दृष्टांत में **ख** को ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त उपन्यास में कुछ संवाद बदल दिए जाएँ और उसका अंत दुखांत कर दिया जाए तो उपन्यास अधिक लोकप्रिय हो जाएगा। इस परिवर्तन को लेखक रोक सकता है।

इन अधिकारों को संक्षेप में पिता होने का अधिकार और अखंडता का अधिकार कहते हैं।

दृष्टांत :

क ने उपन्यास लिखा और **ख** को उस पर फिल्म बनाने का अधिकार दे दिया। फिल्म बनने के पश्चात् **क** को ज्ञात हुआ कि उसके उपन्यास में ऐसे परिवर्तन कर दिए गए हैं जिससे उसकी प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क फिल्म का प्रदर्शन रुकवा सकता है। वह नुकसान का दावा भी कर सकता है।

11.11 प्रतिलिप्यधिकार की अवधि

प्रतिलिप्यधिकार एकाधिकार है, इसलिए यह मान्यता है कि इसकी समय सीमा होनी चाहिए। साहित्यिक रचनाओं के लिए प्रतिलिप्यधिकार की अवधि रचयिता के जीवनकाल के साठ वर्ष बाद तक की है।

अर्थात् जब तक रचयिता जीवित है तब तक तो रहेगी ही, उनकी मृत्यु के बाद भी साठ वर्ष तक यह अधिकार बना रहेगा। उसके पश्चात् यह लोक क्षेत्र (public domain) में आ जाएगा। जैसे अब भारतेंदु हरिश्चंद्र, रबींद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद,

सुभद्राकुमारी चौहान आदि की रचनाएँ लोक क्षेत्र में आ गई हैं। कोई भी प्रकाशक उनका प्रकाशन कर सकता है।

जिस वर्ष रचयिता की मृत्यु होती है, उसके बाद आने वाली 1 जनवरी से साठ वर्ष गिने जाते हैं। अर्थात् साठ वर्ष सदैव 31 दिसंबर को ही समाप्त होंगे।

छद्म नाम से प्रकाशित कृति या मृत्यु के पश्चात् प्रकाशित कृति की दशा में साठ वर्ष की अवधि प्रकाशन वर्ष से गिनी जाती है।

यदि दो या अधिक लेखकों की कृति है तो जिस लेखक की मृत्यु सबसे अंत में होती है उसकी मृत्यु की तारीख से गणना की जाएगी।

11.12 प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन और उपचार

जब कोई व्यक्ति प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी की अनुज्ञप्ति (licence) के बिना या अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लेघन काके कोई कार्य करता है, या अतिलंघनकारी कृति का विक्रय या वितरण करता है या प्रदर्शित करता है या आयात करता है तो वह कार्य प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन होता है।

ऐसे अतिलंघन के विरुद्ध दो प्रकार के उपचार (relief) हैं – सिविल और दांडिक। सिविल उपचार में व्यादेश (injunction) आते हैं, नुकसानी (damages), हिसाब पाना आदि। इस स्थिति में अतिलंघनकारी प्रतियाँ भी स्वामी की संपत्ति हो जाती हैं।

दांडिक उपचार में कारावास और जुर्माना हो सकते हैं।

11.13 अनुवाद के लिए प्रकाशक से संविदा

यदि अनुवाद स्वान्तःसुखाय करना है और प्रकाशित करने का कोई आशय नहीं है तो मूल कृति के रचयिता से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। यदि मूल कृति लोक क्षेत्र में आ गई है अर्थात् लेखक की मृत्यु से साठ वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है तो अनुवाद के लिए अनुमति लिए बिना भी अनुवाद किया जा सकता है और प्रकाशित किया जा सकता है। किंतु यदि प्रतिलिप्यधिकार की अवधि समाप्त नहीं हुई है और प्रकाशन का आशय है तो मूल लेखक की अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य है।

जब अनुवादक को प्रकाशक कोई पुस्तक अनुवाद के लिए देता है तो अनुवादक को संविदा में निम्नलिखित बातों को सम्मिलित करा लेना चाहिए। इससे बाद में विवाद नहीं होता। बहुधा लोग यह कहते पाए जाते हैं कि हमने तो संविदा को बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिए थे – यह कार्य विवेकसम्मत नहीं है और इस स्थिति में कानून आपकी कोई सहायता नहीं करेगा।

निम्नलिखित बातों के लिए प्रमुखता से सावधान रहना चाहिए :

1. सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रकाशक को अनुवाद कराने का अधिकार है या नहीं।
2. सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अनुवादक का नाम पुस्तक के मुख पृष्ठ पर दिया जाएगा।
3. यदि विज्ञान, मानविकी, विधि आदि की पुस्तक है तो मानक शब्दावली का (भारत सरकार द्वारा निर्मित) प्रयोग किया जाएगा (यह बात हिंदी के लिए लागू होगी)।
4. सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पांडुलिपि का प्रथम प्रारूप कितने दिनों में देना है।
5. सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रकाशक प्रथम प्रारूप की विधीक्षा कितने दिनों में करेगा।

6. सुनिश्चित होना चाहिए कि अनुवादक अंतिम पांडुलिपि कितने दिनों में देगा।
7. अनुवादक को देय पारिश्रमिक तथा टंकण व्यय आदि की गणना किस दर से होगी।
8. अनुवादक को मानद कितनी प्रतियाँ दी जाएँगी। अतिरिक्त प्रतियों के क्रय में अनुवादक को कितनी रियायत मिलेगी।
9. अनुवाद का प्रतिलिप्यधिकार प्रकाशक में निहित होगा या अनुवादक में।
10. अनूदित कृति की कीमत प्रकाशक तय करेगा।
11. विवाद की दशा में मध्यस्थ होगा।

11.14 सारांश

प्रतिलिप्यधिकार सृजनात्मकता का सम्मान है। सृजन से हर समाज संस्कृति की श्रीवृद्धि होती है। इसलिए सृजन की सुरक्षा आवश्यक है। वास्तविक अर्थ में यह एक तरह का निशेधकारी अधिकार है। रचयिता की अनुमति लिए बिना उसकी प्रतिलिपि बनाने से हर व्यक्ति को रोक सकता है। अपनी रचना की प्रतिलिपि तैयार करने का प्रथम अधिकार रचनाकार का है। इसलिए इस प्रतिलिप्यधिकार कहते हैं। यह एक अधिनियम से संचालित होता है। अधिनियम का नाम प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम है किंतु इसमें कई अन्य अधिकार भी समाविष्ट हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रतिलिप्यधिकार पुस्तकों और लेखकों तक सीमित था। किंतु समय के साथ इसमें प्रस्तुतकर्ता (Performer), प्रसारणकर्ता (broadcaster), नाटक के रचयिता, संगीतकार, गायक, कलाकार, फिल्म निर्माता, ध्वन्यंकनकर्ता (audio recorder), और कंप्यूटर प्रोग्रामर भी समाविष्ट हो गए। पुस्तक के संदर्भ में प्रतिलिप्यधिकार से अभिप्रेत होता है – कृति का भौतिक रूप में उत्पादन करना, आम जनता को प्रतियाँ उपलब्ध कराना, रेडियो या टेलीविजन जैसे माध्यमों से कृति की सार्वजनिक प्रस्तुति करना, किसी अन्य माध्यम में कृति का अनुवाद, रूपांतरण (संक्षेपण, रूपांतर, कहानी को नाटक बनाना आदि) करना। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की दृष्टि से अनुवादक भी रचयिता ही होते हैं, इसलिए जो अधिकार रचयिता के हैं वे अनुवादक के भी हैं। अर्थात् कृति अनुवाद हो तो रचयिता (अनुवादक) के पास उल्लिखित सभी अधिकार होंगे।

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के अनुसार कृति का रचयिता उसका प्रथम स्वामी होता है। हर कृतिकार की आकांक्षा होती है कि उसकी कृति अधिकाधिक लोगों तक पहुँचे। तभी उसकी यशवृद्धि होगी। तभी धनलाभ होगा। कृतिकार के पास प्रकाशन और विपणन के साधन नहीं होते। उसे इस क्षेत्र का अनुभव भी नहीं होता। इसलिए उसे प्रकाशक से संबंध जोड़ना होता है। प्रकाशक, पुस्तक के मुद्रण और प्रकाशन में धन लगाता है। उसके पास पुस्तक वितरण का तंत्र होता है, जिससे वह विज्ञापन और वितरण द्वारा कृति को अधिकाधिक हाथों में पहुँचा दे। यह सब वह कुछ लाभ के लिए करेगा। प्रकाशक और लेखक के संयोग से ही कृति पाठक तक पहुँचती है। इसके लिए प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी प्रकाशक को अपना अधिकार समनुदेशित करता है। प्रथम स्वामी चाहे तो प्रकाशक को अपना अधिकार एक भौगोलिक क्षेत्र के लिए दे सकता है, एक भाषा के लिए दे सकता है, एक संस्करण के लिए दे सकता है – या इसी प्रकार अन्य विभाजन कर सकता है। प्रकाशक उसे प्रतिफल में एकमुश्त राशि दे सकता है, प्रति पृष्ठ की दर से दे सकता है, या पुस्तक की कीमत पर प्रतिशत की दर से दे सकता है। या इसी प्रकार कोई अन्य दर जो वे आपस में तय करें, उस पर समझौता कर सकता है। समनुदेशन का लिखित होना आवश्यक है। प्रतिलिप्यधिकार एकाधिकार है, इसलिए यह मान्यता है कि इसकी समय सीमा होनी चाहिए। साहित्यिक रचनाओं के लिए प्रतिलिप्यधिकार की अवधि रचयिता के जीवनकाल के साठ वर्ष बाद तक की है। जब कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति की शर्तों

का उल्लंघन करता है, तो वह प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन है। ऐसे अतिलंघन के विरुद्ध सिविल उपचार में विक्रय–वितरण पर रोक, नुकसानी और अतिलंघनकारी प्रतियों की जब्ती, तथा दांडिक उपचार में कारावास और जुर्माना हो सकता है। स्वान्तःसुखाय अनुवाद बगैर अनुमति के भी किया जा सकता है, पर प्रकाशित कराने हेतु यदि प्रतिलिप्यधिकार की अवधि समाप्त नहीं हुई है तो मूल लेखक की अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। जब अनुवादक को प्रकाशक कोई पुस्तक अनुवाद के लिए देता है तो अनुवादक को विधिवत संविदा तैयार करा लेना चाहिए। संविदा पढ़े बगैर हस्ताक्षर करना विवेकसम्मत नहीं है, इस स्थिति में कानून कोई सहायता नहीं करेगा।

सारांशतः अनुवादक को स्वयं अपने हित की रक्षा करनी चाहिए संविदा पर सावधानी से हस्ताक्षर करना चाहिए।

11.15 अभ्यास के लिए प्रश्न

1. प्रतिलिप्यधिकार से आप क्या समझते हैं? विस्तार से लिखिए।
2. मुद्रण की शुरुआत कब और कहाँ हुई? कापीराइट अधिनियम कब, कहाँ, और किस उद्देश्य से लागू हुआ?
3. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम क्या है, यह किन स्थितियों में लागू होता है, यूरोप में इसे क्या कहते हैं? समीक्षा कीजिए। अपने पाठ्य–पुस्तक के आधार पर पुस्तक के संदर्भ में प्रतिलिप्यधिकार का अभिप्रेत बताइए।
4. प्रतिलिप्यधिकार अधिकारों की गठरी है – इस कथन की व्याख्या कीजिए।
5. प्रतिलिप्यधिकार किन कृतियों पर लागू होता है? सोदाहरण समझाइए।
6. प्रतिलिप्यधिकार के प्रथम स्वामी का तात्पर्य क्या है? स्पष्ट कीजिए।
7. प्रतिलिप्यधिकार कैसे और क्यों प्राप्त किया जाता है?
8. प्रतिलिप्यधिकार का समनुदेशन (Assignment) क्यों और कैसे होता है?
9. समनुदेशन संबंधी विवाद किस परिस्थिति में होता है? उससे कैसे निपटा जाता है?
10. रचयिता के विशेष अधिकार क्या–क्या होते हैं? प्रतिलिप्यधिकार की अवधि क्या होती है?
11. प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन और उपचार की समीक्षा कीजिए?
12. अनुवाद के लिए प्रकाशक से संविदा पर व्यवस्थित टिप्पणी कीजिए।

11.16 उपयोगी पुस्तकें

- *प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957।*
- मिश्र, जयप्रकाश (डॉ.), *बौद्धिक संपदा अधिकार : एक परिचय,* इलाहाबाद, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स।
- Bhandari, M.K., Intellectual Property Rights, Allahabad, Central Law Publication.
- खन्ना, संतोष, *भारतीय कानूनों का समाज शास्त्र,* दिल्ली, भारत, ज्योति प्रकाशन।
- अग्रवाल, कृष्ण गोपाल, *विधि अनुवाद : विविध आयाम,* दिल्ली, संजय प्रकाशन।
- शर्मा, ब्रजकिशोर, *विधि की शब्दावली और विधि का अनुवाद,* नई दिल्ली, पीएचआई लर्निंग।